फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी—सूरतगढ़ जिला—श्रीगंगानगर

सुखमिन्द्र सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः— 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्याः— 339/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6 .12.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी सुखमिन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 18, सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 5 एस.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 100/100 के पत्थर संख्या 102/406 (19) का 1.215 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सुखमिन्द्र सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र सिंह दर्ज हो गया है। प्रार्थी का सही नाम सुखमिन्द्र सिंह है। अतः प्रार्थी का नाम सही किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ ने पत्रांक 2429 दिनांक 18.10.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि मुताबिक जमाबंदी चक 5 एसडी के खाता संख्या 149 का 2.289 हैक्टर रकबा सुखमिन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ़ के नाम से खातेदार दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 100 की 1.215 हैक्टर सुखविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का दस्तावेजों में नाम सुखमिन्द्र सिंह है। अतः प्रार्थी का नाम सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखमिन्द्र सिंह करना उचित बताया है। अतः तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 100 के पत्थर संख्या 102/406 (19) की कुल 1.215 हैक्टर कमाण्ड भूमि में काश्तकार का नाम "सुखविन्द्र सिंह" के स्थान पर दुरस्त कर "सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखमिन्द्र सिंह" करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.12.19 13:06:50 IST Reason: SelfAttested	